क्रम-संख्या–92(क)

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, मंगलवार 17 मई, 2022 ई0
(बैशाख 27, 1944 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 735/दो-805ए/238/435

प्रयागराज, दिनांक : 17 मई, 2022 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि-29

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश विश्लेषणात्मक श्रेणी और एच0पी0एल0सी0 श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल प्रसंस्करण तथा बोतल भराई लाइसेंस नियमावली, 2022 बनाते हैं–

उत्तर प्रदेश विश्लेषणात्मक श्रेणी और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल प्रसंस्करण तथा बोतल भराई लाइसेंस नियमावली, 2022

1–संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विश्लेषणात्मक श्रेणी और एच0पी0एल0सी0 श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल प्रसंस्करण तथा बोतल भराई लाइसेंस नियमावली, 2022 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषाएं–जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में, –

(क) 'विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल'का तात्पर्य भारतीय मानक विनिर्देश में यथा परिभाषित विश्लेषणात्मक श्रेणीके परिशुद्ध अल्कोहल से है और 'एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल' का तात्पर्य एच.पी.एल.सी. साल्वेंट विनिर्मित करने के लिए प्रसंस्कृत और परिष्कृत परिशुद्ध अल्कोहल से है ;

(ख) 'लाइसेंसधारी' का तात्पर्य इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र एफ.एल–50 में लाइसेंसधारक से है;

(ग) 'लाइसेंस' का तात्पर्य विश्लेषणात्मक श्रेणी और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के प्रसंस्करण और बोतल भराई के लिए प्रपत्र एफ.एल–50 में जारी लाइसेंस से है।

3–लाइसेंस शुल्क–प्रपत्र एफ.एल–50 में लाइसेंस शुल्क, विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल का प्रसंस्करण करने और उसकी बोतल भराई करने हेतु उत्तर प्रदेश में किसी आसवनी से प्राप्त परिशुद्ध अल्कोहल के 5.00रू0 प्रति बल्क लीटर की दर से वसूल किया जायेगा। उक्त शुल्क की वसूली, आसवनी से परिशुद्ध अल्कोहल जारी किये जाने से पूर्व आसवनी के प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा लाइसेंसधारी से की जायेगी और उसे कोषागार में जमा किया जायेगा।

4–बोतल भराई शुल्क–बोतल भराई शुल्क भी लाइसेंसधारी से 11.50 रूपये प्रति लीटर की दर से वसूल किया जायेगा।

5–विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल का प्रसंस्करण किये जाने तथा बोतल भराई किये जाने हेतु लाइसेंस स्वीकृत किया जाना–(1) विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल प्रसंस्करण और बोतल भराई का लाइसेंस एफ.एल–50 प्रपत्र में आबकारी आयुक्त द्वारा निम्नलिखित को स्वीकृत किया जा सकता हैः–

(एक) पी.डी.–2 लाइसेंसधारक आसवक, जो केवल औद्योगिक अल्कोहल के साथ–साथ शुद्ध अल्कोहल के विनिर्माण के लिए प्राधिकृत हो।

(दो) कोई कम्पनी या इकाई,जो शुद्ध अल्कोहल प्लांट सहित औद्योगिक आसवनी स्थापित करने के लिए पी. डी–33 लाइसेंसधारक हो, जिसमें न्यूनतम 50 करोड़ रूपये का निवेश हो और न्यूनतम क्षमता 40 कि0ली0 प्रतिदिन हो, 25 लाख रूपये की बैंक गारंटी द्वारा समर्थित शपथ पत्र द्वारा आश्वासन और प्रतिबद्धता देने पर कि वह एफ.एल.–50 लाइसेंस स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष के भीतर औद्योगिक आसवनी स्थापित करेगा। यदि इकाई विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर औद्योगिक आसवनी स्थापित करने में विफल रहती है, तो उक्त बैंक गारंटी राज्य सरकार के पक्ष में आबकारी आयुक्त द्वारा जब्त कर ली जाएगी और विश्लेषणात्मक श्रेणी शुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के प्रसंस्करण एवं बोतल भराई के लिए दिया गया लाइसेंस औद्योगिक आसवनी चालू होने तक निलंबित अवस्था में रहेगा।

(2) इस तरह का लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के लिए, आवेदक इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र एफ.एल–51 में संबंधित जिला के जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से भवन के विवरण और योजना के साथ आबकारी आयुक्त के समक्ष अक्षांश और देशांतर के विवरण के साथ जिसमें आवेदक इकाई के निर्माण का प्रस्ताव करता है, आवेदन प्रस्तुत करेगा और एक विवरण भी संलग्न करेगा जिसमें संयंत्र और अन्य स्थायी उपकरण का विवरण और आकार दिया गया है। कम्प्यूटर की सहायता से योजना की ड्राइंग तैयार की जाएगी जिसमें उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक पात्र, टैंक और रिसीवर की सटीक स्थिति और आयाम दिखाए जायेंगे। इकाई के प्रत्येक भाग की ऊँचाई जैसे भंडारण, रिसीवर और अन्य भागों को कंप्यूटर की सहायता से ड्राइंग पर दिखाया जाएगा। आवेदन अभिहित पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा।

(3) यदि ऐसी जांच, जो आवश्यक समझी जाय, के पश्चात् आबकारी आयुक्त का समाधान हो जाता है तो वह ऐसी शर्तों, जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित करना उचित समझे, के अध्यधीन विश्लेषणात्मक श्रेणीपरिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल संयंत्र की स्थापना हेतु प्राधिकृत करने के लिये प्रपत्र एफ.एल.–52 में लाइसेंस 1,00,000/– (केवल एक लाख) रूपये के शुल्क के भुगतान पर स्वीकृत कर सकता है।

(4) उक्त लाइसेंस जारी किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के लिए विधिमान्य (जब तक कि विशेष रूप से विस्तारित न किया गया हो) होगा, जिसके भीतर उसका लाइसेंस धारक, संयंत्र स्थापना हेतु अपेक्षित भवन, संयंत्र, मशीनरी और अन्य उपकरणों की व्यवस्था करेगा।

(5) लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उचित कारणों से तथा 1,00,000/– (केवल एक लाख) रूपये का भुगतान करने के पश्चात् लाइसेंस की वैधता को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(6) प्रपत्र एफ.एल–50 में लाइसेंस जारी करने से पूर्व, आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्राविधिक अधिकारी परिसर आदि का निरीक्षण करेगा और योजना के साथ इसका मिलान करेगा और तदनुसार प्रमाणित करेगा।

(7) प्रपत्र एफ.एल–50 में कोई लाइसेंस तब तक स्वीकृत नही किया जायेगा जब तक आवेदक–

(एक) आबकारी आयुक्त का समाधान न कर दे कि विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के प्रसंस्करण और बोतल भराई के संबंध में उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित भवन, पात्र, संयंत्र और उपकरण और इसका भंडारण और निकासी,इस निमित्त बनायी गयी नियमावली के अनुसार हैं और ये आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के अनुरूप हैं और अग्रतर यह कि अग्नि दुर्घटना से बचने हेतु उचित सावधानी बरती गयी है।

(दो) 10.00 लाख रु0 की प्रतिभूति धनराशि जमा न कर दे, जिसमें से पचहत्तर प्रतिशत सावधि जमा रसीद के रूप में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अभिहित नाम से गिरवी रखी गई हो तथा शेष पचीस प्रतिशत नकद में राजकीय कोषागार में जमा की जायेगी।

(तीन) विश्लेषणात्मक श्रेणीपरिशुद्ध अल्कोहलऔर एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के प्रसंस्करण और बोतल भराई के लिए स्वीकृत क्षमता पर रु0 10.00 (दस) प्रति किलोलीटर की दर से लाइसेंस शुल्क अग्रिम रूप से उस वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया जाना हो, जमा न कर दे।

6–सामान्य शर्तें–निम्नलिखित सामान्य शर्तें लाइसेंसधारी/आवेदक के लिए बाध्यकारी होंगी अर्थात्:–

(1) लाइसेंसधारी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के सुसंगत उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, जो उसके लाइसेंस और उसके लाइसेंस की सामान्य और विशेष शर्तों पर लागू होती हैं।

(2) लाइसेंसधारी को पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उचित लाइसेंस/अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(3) लाइसेंसधारी को 5 वर्षों से गुणवत्तापरक रसायनकी बिक्री एवं प्रसंस्करण के लिए जी.एस.टी के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

(4) लाइसेंसधारी संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से कोई बकाया न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(5) कम्पनी के मामले में आवेदक को कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और भूमि के स्वामित्व के संबंध में अंतरण या पट्टे का दस्तावेज जमा करना होगा।

(6) यदि यह पाया जाता है कि प्रदेश में ई0एन0ए0 की कमी के कारण पीने योग्य शराब की कमी हो रही है तो आबकारी आयुक्त राज्य में विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश की आसवनियों से परिशुद्ध अल्कोहल की बिक्री को प्रतिबंधित कर सकता है।

(7) आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना लाइसेंसधारी उस परिसर में परिवर्तन नही करेगा जिसमें वह अपने लाइसेंस के अधीन अपना व्यवसाय करता है, जिसे लाइसेंस पर कलेक्टर या उसके द्वारा सम्यक रूप से सशक्त किसी अधिकारी द्वारा लाइसेंस में अंकित किया जायेगा और आबकारी आयुक्त को सूचित किया जायेगा।

(8) यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाले व्यवसाय के संबंध में साझेदारी करना चाहता है, तो वह आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ऐसा करेगा और इसके लिए उसके लाइसेंस में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा। साझेदारी किये जाने पर साझीदार के साथ–साथ लाइसेंस के मूल धारक पर इस लाइसेंस की शर्तें बाध्यकारी होंगी।

(9) यदि कोई साझेदारी भंग हो जाती है, तो विघटन के तथ्य की सूचना आबकारी आयुक्त को तीन दिनों के भीतर भंग साझेदारी के सभी भागीदारों द्वारा दी जाएगी।

(10) यदि लाइसेंसधारी व्यवसाय करने में असमर्थ हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है या फर्म, कम्पनी या व्यक्तियों के अन्य संघ के मामले में, यह समाप्त हो जाता है, तो आबकारी आयुक्त –

(एक) या तो लाइसेंस रद्द कर सकता है, या

(दो) लाइसेंसधारी के विधिक उत्तराधिकारियों, यदि कोई हो, के नाम पर इसे जारी रख सकता है।

(11) यदि लाइसेंसधारी व्यवसाय से बाहर हो जाता है तो वह परिशुद्ध अल्कोहल और विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहलके स्टाक का निस्तारण इस तरह से करेगा जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देशित किया जाये।

(12) लाइसेंसधारी लाइसेंस के अधीन प्राप्त स्प्रिट की किसी मात्रा को उपहार के रूप में या अन्यथा किसी भी मात्रा में नहीं बेचेगा या उसका उपयोग नहीं करेगा अथवा लाइसेंस में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग नही करेगा।

(13) आबकारी आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना लाइसेंस प्राप्त परिसर से कोई परिशुद्ध अल्कोहल नही हटाया जायेगा।

(14) लाइसेंसधारी की ओर से मानव उपभोग के लिए स्प्रिट का उपयोग करने का कोई भी प्रयास, उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 के अधीन अधिरोपित किये जा सकने वालीशास्तियों के अतिरिक्त उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

(15) लाइसेंसधारी अपने द्वारा चलाये जा रहे व्यवसाय के लिए निर्धारित रजिस्टरों का रख–रखाव करेगा। लाइसेंसधारी सभी निर्धारित रिटर्न समय पर जमा करेगा और दिन–प्रतिदिन के लेनदेन के खातों को बनाए रखेगा।

(16) लाइसेंसधारी आसवनी से प्राप्त और भंडारण टैंकों में संग्रहीत, निर्माण में प्रयुक्त अल्कोहल और दिन के अंत में अधिशेष मात्रा और विनिर्मित तथा जारी विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के सम्बन्ध में प्रपत्र एफ.एल–53 में अद्यतन लेखा अनुरक्षित करेगा।

(17) लाइसेंसधारी किसी भी समय आबकारी विभाग के किसी अधिकारी द्वारा, जो निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, मांगे जाने पर अपने लाइसेंस और लेखाओं को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा और लाइसेंस, रजिस्टरों, परमिटों या पासों एवं परिशुद्ध अल्कोहल और विश्लेषणात्मक श्रेणीपरिशुद्ध अल्कोहलतथा एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और परिसर का निरीक्षण उक्त अधिकारी को करने देगा।

(18) लाइसेंसधारी एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा जिसके पृष्ठ क्रमागत रूप से अंकित होंगे और मांगे जाने पर उसे आबकारी विभाग के किसी ऐसे अधिकारी को सौंपेगा जो निरीक्षक के पद से नीचे का न हो। लाइसेंसधारी द्वारा उपगत किसी दंड या चेतावनी को उसके लाइसेंस को जब्त या रद्द किए बिना, उक्त पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा।

(19) आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर प्रतिदिन एक डिजिटल अभिलेख भी अनुरक्षित किया जायेगा और ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा।

(20) आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना लाइसेंस को हस्तांतरित या पट्टे पर या बेचा नही जाएगा।

(21) लाइसेंसधारी विश्लेषणात्मक श्रेणीपरिशुद्ध अल्कोहलऔर एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल को डीलर/अंतिम उपयोगकर्ता को प्रयोगशाला परीक्षण उपयोग, फार्मास्युटिकल उपयोग, विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं/पैथालॉजी/आर एंड डी केन्द्रों में प्रयोगशाला उपयोग के लिए बिक्रीत करेगा और परिशिष्ट-A में उल्लिखित डीलर/अंतिम उपयोगकर्ता से आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्राप्त करेगा और निरीक्षण के समय भी इसे प्रस्तुत करेगा।

(22) विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल का क्रेता लाइसेंसधारी के माध्यम से पोर्टल पर स्वयं अपना पंजीकरण करेगा।

(23) विश्लेषणात्मक श्रेणीपरिशुद्ध अल्कोहलऔर एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल की निकासी प्रपत्र एफ. एल–54 में परिवहन पास के अधीन किया जायेगा।

(24) विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के प्रत्येक ब्रांड और लेबिल का अनुमोदन, आबकारी आयुक्त द्वारा 50,000 रू0 (पचास हजार) शुल्क का भुगतान किये जाने पर किया जायेगा।

7–परिशुद्ध अल्कोहल के लिए मांगपत्र –(1) लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त परिशुद्ध अल्कोहल की आपूर्ति, इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र आई-I में मांग पत्र पर की जायेगी। मांग पत्र तीन प्रतियों में पुस्तकों में बंधे मुद्रित रूप में होना चाहिए और क्रमागत रूप से संख्यांकित होना चाहिए। जब कभी कोई लाइसेंसधारी स्प्रिट के लिए मांग करता है तो वह कार्बन पेपर का उपयोग करते हुए तीन प्रतियों में मांग पत्र तैयार करेगा, मांग पत्र की मूल प्रति संबंधित लाइसेंसधारी द्वारा परिशुद्ध अल्कोहल का उत्पादन करने वाली आसवनी को प्रेषित की जायेगी, मांगपत्र की द्वितीय प्रति आबकारी निरीक्षक को भेजी जाएगी और मांगपत्र की तीसरी प्रति को संबंधित इकाई अपने पास रखेगी।

(2) निर्धारित फ्लाई लीफ के साथ मांग-पत्र प्राप्त किये जाने पर आसवनी का प्रभारी अधिकारी मांगपत्र का तब तक सम्मान नहीं करेगा जब तक कि उसने फ्लाई लीफ के प्रत्येक कॉलम में पठनीय एवं स्पष्ट प्रविष्टियां न कर दी हो और आपूर्ति की गयी परिशुद्ध अल्कोहल की मात्रा की प्रविष्टि मांगपत्र पर न कर लिया हो। यदि आसवनी मांगपत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में न हो, तो वह तदनुसार मांगकर्ता को सूचित करेगा। संसूचना की एक प्रति, इकाई के आबकारी निरीक्षक को भेजी जायेगी।

8–प्रतिभूति जब्त किया जाना–लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में इस प्रकार जमा की गई प्रतिभूति, सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकती है और लाइसेंसधारी को स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात विधि के अधीन लाइसेंस को अन्य दंड के अलावा रद्द किया जा सकता है।

एफ.एल. 50

विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के प्रसंस्करण और विनिर्माण के लिए लाइसेंस

लाइसेंस संख्या.....दिनांक.....

यह लाइसेंस एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित परिसर में दिनांक 31 मार्च, 20.....को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के प्रसंस्करण और बोतल भराई के लिए ....लीटर परिशुद्ध अल्कोहल को संचय किये जाने हेतु.....को (लाइसेंसधारी का नाम और पता), जिसे आगे लाइसेंसधारी कहा गया है, स्वीकृत करते हुए जारी किया जाता है :

<u>लाइसेंस प्राप्त परिसर का विवरण</u>

परिसरका पता .....

परिसर की सीमा : उत्तर.....

दक्षिण .....

पूर्व.....

पश्चिम.....

अक्षांश.....देशांतर.....

लाइसेंस निम्नलिखित के अध्यधीन होगा :–

(एक) उत्तर प्रदेश विश्लेषणात्मक श्रेणीपरिशुद्ध अल्कोहलऔर एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल प्रसंस्करण और बोतल भराई लाइसेंस नियमावली, 2022 के उपबंध;

(दो) आबकारी मैनुअल के भाग–II के अध्याय IV और V में अन्तर्विष्ट स्प्रिट के निर्यात और परिवहन से संबंधित नियम, खंड–I (1995 संस्करण)

(तीन) ऐसे अन्य नियम और आदेश, जो आबकारी आयुक्त और सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये या जारी किये जायं और जिनका उल्लंघन,लाइसेंसधारी को उपरोक्त विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त उसे रद्द करने के लिए उत्तरदायी बना देगा।

शर्तें :–

1–लाइसेंसधारी सभी भवनों, दीवारों, जल चैनलों और उचित क्रम में संयंत्र के लिए आवश्यक नालियांअनुरक्षित करेगा।

2– परिशुद्ध अल्कोहल, उत्तर प्रदेश में स्थित किसी आसवनी से प्राप्त की जायेगी, यदि राज्य में परिशुद्ध अल्कोहल की कोई कमी पाई जाती है तो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अनुमति से इसे दूसरे राज्य से आयात किया जा सकता है।

3– यदि यह पाया जाता है कि प्रदेश में ई0एन0ए0 की कमी के कारण पीने योग्य शराब की कमी हो रही है तो आबकारी आयुक्त राज्य में विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश की आसवनियों से परिशुद्ध अल्कोहल की बिक्री को प्रतिबंधित कर सकता है।

4– परिशुद्ध अल्कोहल को आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित गेज वैट्स या अन्य पात्र में संग्रहीत किया जायेगा। ऐसे सभी पात्रों की एक विशिष्ट क्रम संख्या होगी और उनकी पूरी क्षमता स्पष्ट रूप से और समझदारी से उन पर अंकित की जायेगी।

5–लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, परिशुद्ध अल्कोहल के भंडारण के लिए और विश्लेषणात्मक श्रेणीपरिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल का उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति और परिवहन के लिए आवश्यक समस्त संयंत्रों तथा उपकरणों, जिनमें प्रवेश/निकास द्वार पर आई.पी. पते के साथ सी.सी.टी.वी. कैमरों को स्थापित किया जाना तथा अनुरक्षित किया जाना सम्मिलित होगा, की आपूर्ति करेगा तथा उन्हें परिनिर्मित करेगा।

6–लाइसेंसधारी इकाई के परिसर के भीतर उचित सफाई बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा और कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 11 की उप धारा (1) के सभी उपबंधों और तद्धीन जारी किये गये नियमों और आदेशों का पालन करेगा तथा जल और वायु प्रदूषण के संबंध में उपबंध का अनुपालन करेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इन उपबंधों से विशेष रूप से छूट न दी गयी हो।

7–लाइसेंसधारी विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के प्रसंस्करण और बोतल भराई से कचरे और अपशिष्ट के निपटान के लिए प्रभावी व्यवस्था करेगा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04.08.2016 में निर्धारित ऐसी सभी व्यवस्था करेगा और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप–धारा (2) के उपबंधों के अधीन तथा जल और वायु प्रदूषण के संबंध में संबंधित उपबंधों का अनुपालन करेगा।

8– स्प्रिट को 'पेसो' से अनुमोदित एक अलग परिसर में रखा जायेगा। स्प्रिट भण्डार परिसर में केवल एक प्रवेश द्वार होगा। प्रभारी आबकारी अधिकारी की अनुपस्थिति में फाटकों को आबकारी टिकट लॉक से सुरक्षित किया जायेगा।

9– आबकारी आयुक्त के पूर्व अनुमति के बिना स्प्रिट भण्डारण परिसर, टैंक, रिसीवर और संयंत्रों में या उसमें स्थायी स्थिरता के संबंध में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परिशुद्ध अल्कोहल एवं विश्लेषणात्मक श्रेणीपरिशुद्ध अल्कोहलऔर एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के रिसीवर और संचय टैंक केवल प्रभारी आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में ही खोले और बंद किये जायेंगे।

10– आबकारी आयुक्त द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिसर से कोई भी स्प्रिट नहीं ले जाया जायेगा।

11–भंडारण टैंकों से निकालने के लिए आवश्यक स्प्रिट की प्रत्येक मात्रा के लिए प्रभारी आबकारी अधिकारी को लिखित रूप में एक आवेदन दिया जाना चाहिए, जो एक विहित रजिस्टर में दिन–प्रतिदिन जारी की गई मात्रा को अभिलिखित करेगा।

12–लाइसेंसधारी आसवनी से प्राप्त और भंडारण टैंकों में संग्रहीत परिशुद्ध अल्कोहल, प्रसंस्करण और बोतल भराई में उपयोग किये जाने वाले और दिन के अंत में अवशेष स्टाक और विश्लेषणात्मक श्रेणीपरिशुद्ध अल्कोहलऔर एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के प्रसंस्कृत और भरी हुयी बोतलों एवं निकासी का विवरण, प्रपत्र एफ.एल–53 में और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथाविहित रीति से अनुरक्षित रखा जायेगा।

13–लाइसेंस की समाप्ति के दिनांक से कम से कम एक माह पूर्व लाइसेंस के नवीकरण हेतु, लाइसेंसधारी संबंधित जिला के जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त को आवेदन करेगा।

14–यदि इकाई में उत्पादित और भंडारित विश्लेषणात्मक श्रेणीपरिशुद्ध अल्कोहलऔर एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के स्टॉक के सत्यापन के पश्चात् प्रत्येक कैलेंडर माह के अंतिम कार्य दिवस पर परिशुद्ध अल्कोहल का भंडारण और प्रसंस्करण तथा बोतल भराई छीजन 1.0 प्रतिशत से अधिक पाया जाता है तो परिशुद्ध अल्कोहल के ऐसे अधिक छीजन पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा की इकोनॉमी श्रेणी की दर से प्रतिफल शुल्क प्रभारितकिया जायेगा।

15–लाइसेंसधारी को राज्य सरकार द्वारा विहित दर पर, प्रति लीटर शुल्क का भुगतान, उत्तर प्रदेश में किसी भी आसवनी से प्राप्त करने या अन्य राज्य से विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के विनिर्माण के लिए आयात किये जाने पर करना होगा।

16– शुल्क की वसूली, आसवनी के प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा लाइसेंसधारी के माध्यम से आसवनी से परिशुद्ध अल्कोहल जारी करने से पूर्व की जाएगी और सुसंगत लेखा शीर्षक के अधीन कोषागार में जमा की जाएगी।

17– आबकारी आयुक्त पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक आबकारी कार्मिकों की संख्या विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चय लाइसेंसधारी पर बाध्यकारी होगा। लाइसेंसधारी कार्यालय में प्रभारी अधिकारी के लिए कार्यालय फर्नीचर तथा आबकारी कर्मचारिवृंद हेतु लाइसेंस प्राप्त परिसर के आसपास के क्षेत्र में आबकारी आयुक्त की संतुष्टि के अनुसार समुचितकक्ष उपलब्ध कराएगा। लाइसेंसधारी कमरों और उनके उपकरणों को उचित मरम्मत में रखने के लिए बाध्य होगा और उसमें निवास करने वाले किसी अधिकारी को उसके उपयोग या उपभोग में बाधा डालने या नाराज नही करने के लिए बाध्य होगा। आवास की पर्याप्तता के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण आबकारी आयुक्त को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम और लाइसेंसधारी पर बाध्यकारी होगा।

18–लाइसेंसधारी, प्रभारी आबकारी अधिकारी को एक सूची प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके द्वारा नियोजित प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों के नाम और समस्त अन्य कर्मचारियों के नाम समाविष्ट होंगे जिनके कर्तव्यों के लिए उन्हें स्प्रिट भंडार में प्रवेश करना आवश्यक है। वह समय–समय पर सूची में किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन के सम्बंध में संबंधित आबकारी निरीक्षक को तुरंत सूचित करेगा।

19–लाइसेंसधारी द्वारा निम्नलिखित रजिस्टर दो प्रतियों में उपलब्ध कराया जायेगा :–

(एक) स्प्रिट की प्राप्ति और उपयोग को प्रदर्शित करने वाले परिशुद्ध अल्कोहल भंडार में संव्यवहार रजिस्टर;

(दो) प्रयुक्त परिशुद्ध अल्कोहल की मात्रा और उत्पादित विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल. सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल की कुल मात्रा को प्रदर्शित करने वाली इकाई में संचालन रजिस्टर ;

(तीन) समस्त रजिस्टर और प्रपत्र, जो आबकारी आयुक्त विहित कर सकता है, लाइसेंसधारी द्वारा संचालन कापर्यवेक्षण करने के लिए संबंधित आबकारी निरीक्षक को निःशुल्क मुद्रित और आपूर्ति की जाएगी।

(चार) वह दैनिक संव्यवहार लेखाओं को अनुरक्षित करेगा और अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर के साथ पक्षकारों को विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल की बिक्री करेगा।

20–एक डिजिटल अभिलेख भी अनुरक्षित रखा जायेगा और दैनिक रूप से आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा।

करार का प्रतिलेख

मैं.....उपर नामित लाइसेंसधारी, स्वयं, अपने उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों के लिए एतद्द्वारा इससे पूर्व लिखित और अभिव्यक्त समस्त निबंधनों और शर्तों के अनुसार करार करता हूँ।

दिनांकः

लाइसेंसधारीः

गवाहः

1–

2–

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

नवीकरण का पृष्ठांकन

यह लाइसेंस एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित अवधि के लिए इससे पूर्व उल्लिखित शर्तों पर नवीकृत किया जाता है।

अवधि.....से.....तक

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

एफ.एल.– 51

विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल प्लांट स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम
2. उपक्रम का नाम एवं पता
3. निवेश का विवरण
   क– अचल आस्तियां
   ख– भूमि स्थल विकास
   ग– भवन
   घ– संयंत्र और मशीन
4. अवस्थिति

5. अपेक्षित कच्चा माल
6. पानी और बिजली की आवश्यकता
   क– आवश्यकता का विवरण
   ख–क्या आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गयी है ?
7. प्रक्रिया
8. तकनीकी सहायता
9. समय चक्र का पूर्वानुमान
10. विनिर्माण की वस्तु और प्रति वर्ष वस्तु की मात्रा
11. रोजगार की संभावना
12. सरकार से किसी विशेष सुविधा की आवश्यकता

दिनांक सहित आवेदक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक–

1–प्रदूषण अनापत्ति प्रमाणपत्र

2–अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र

3–जी.एस.टी.

4–संयंत्र/मशीनरी का विवरण

5–ले आउट संयंत्र तीन प्रतियों में

6–ड्राइंग की योजना और उन्नयन

7–शुल्क चालान

8–टैंकों का विवरण और सभी अल्कोहल भंडारण टैंकों के गेज चार्ट तीन प्रतियों में

9–संयंत्र क्षमता की गणना

एफ.एल.– 52

नियम 5(3) देखें

विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल संयंत्र को प्रसंस्कृत करने और बोतल भराई करने के लिये संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु लाइसेंस

यह लाइसेंस एतद्द्वारा विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल संयंत्र और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल का .....लाख लीटर वार्षिक क्षमता के साथ प्रसंस्करण करने और बोतल भराई करने के लिये ग्राम..... और नगर ..... जिला.....(अवस्थान का विवरण प्रविष्ट कीजिए) में श्री..... (लाइसेंसधारी का नाम और पता) को स्वीकृत करके जारी किया जाता है। इस लाइसेंस के जारी किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के लिए यह वैध होगा।

दिनांक :

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

(आई–1)

परिशुद्ध अल्कोहल का मांग पत्र

नियम 7देखें

प्रभारी आबकारी निरीक्षक

.....

कृपया विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल के प्रसंस्करण और बोतल भराई के लिए .....लीटर परिशुद्ध अल्कोहल.....दिनांक से.....तक के लिए जारी करने का कष्ट करें।

इकाई/लाइसेंसधारी
का प्राधिकृत व्यक्ति

इकाई के प्रभारी आबकारी निरीक्षक की संस्तुति

इकाई के प्रभारी आबकारी निरीक्षक
का हस्ताक्षर और मुहर

एफ.एल. – 53

	परिशुद्ध अल्कोहल								
दिनांक	प्रारम्भिक अवशेष	कहां से प्राप्त हुआ	परमिट सं0 और दिनांक	मात्रा	स्तम्भ 2 + 5 का योग	उपयोग के लिए ली गई या जारी की गई मात्रा	अन्तिम स्प्रिट का अवशेष	निर्मित विश्लेषणात्मक /एचपीएलसी श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल	विश्लेषणात्मक /एचपीएलसी श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

<u>प्रपत्र एफ.एल.– 54</u>

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग

विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल और एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल परिवहन पास

सत्यापित करें और तुरन्त वापस भेजें

1. पास नंबरः दिनाकः तक वैध हैः
2. प्रेषक का नाम : लाइसेंस संख्याः
3. परेषिती का नाम और पता लाइसेंस संख्याः
4. विश्लेषणात्मक श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल/एच.पी.एल.सी. श्रेणी परिशुद्ध अल्कोहल का विवरण
5. इंडेंट नंबर : इंडेंट दिनांक :

परेषिती द्वारा जारी क्रय आदेश क्रमांक/परेषिती द्वारा जारी विक्रय आदेश संख्या क्रय/विक्रय आदेश का दिनांक

6. भुगतान किया गया शुल्क (रूपये में) :

7. वाहन संख्या :

8. मार्ग विवरण

9. कुल वजनः खाली भारः कुल भारः

10. प्रेषण का विवरणः

बोतलों की संख्या	क्षमता एम.एल में	अल्कोहल बी.एल. में	अल्कोहल ए.एल. में

दिनांक और पदनाम के साथ लाइसेंसधारी के एम.डी./सी.ई.ओ.
द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित

11. प्राप्त मात्रा का विवरणः

प्राप्त बोतलों की संख्या बोतल की क्षमता मात्रा बल्क लीटर में

परेषिती के प्राप्तकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर
दिनांक और पद नाम सहित।

परिशिष्ट–एक

डीलर/अंतिम उपयोगकर्ता से अन्तिम उपयोग प्रमाणपत्र

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि नीचे उल्लिखित सामग्री का उपयोग मानव उपभोग या आबकारी नियंत्रण अधिनियम के अधीन अच्छादित किसी अन्य दुरूपयोग के लिए नही किया गया है :–

बीजक संख्या	बीजक दिनांक	उत्पाद	मात्रा
		एथनॉल 99.9%(विश्लेषणात्मक श्रेणी/एचपीएलसी श्रेणी)	

प्रयुक्त प्रयोजनः–

प्रयोगशाला परीक्षण उपयोग
भेषजी उपयोग
विद्यालयों में प्रयोगशाला का उपयोग
महाविद्यालयों में प्रयोगशाला का उपयोग
संस्थाओं में प्रयोगशाला का उपयोग
पैथालोजी में प्रयोगशाला का उपयोग
अनुसंधान एवं विकास केंद्रों में प्रयोगशाला का उपयोग

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैं आपको इसमें किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत सूचित करने का वचन देता हूं।

(हस्ताक्षर मुहर के साथ)

आज्ञा से,
सेंथिल पांडियन सी.,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ

No. 735/DO 805A/238/435

Prayagraj, dated : May 17, 2022.

NOTIFICATION

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. /LXXVII-3-21-57(M)/2020 dated May, 2022:

In exercise of the powers under section 41 of the U.P. Excise Act, 1910 (Act no. IV of 1910) and with previous sanction of the State Government, the Excise Commissioner hereby makes the Uttar Pradesh Licenses for the processing and bottling of Analytical Grade & HPLC Grade Absolute Alcohol Rules, 2022.

UTTAR PRADESH LICENCES FOR THE PROCESSING AND BOTTLING OF ANALYTICAL GRADE AND HPLC GRADE ABSOLUTE ALCOHOL RULES, 2022

1. Short title and Commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Licences for the processing and bottling of Analytical Grade and HPLC Grade Absolute Alcohol Rules, 2022.

(2)They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Definitions– In these rules, unless there is anything repugnant to the subject or context, -

(a) Analytical Grade Absolute Alcohol means the Analytical Grade Absolute Alcohol as defined in Indian Standard Specification and HPLC Grade Absolute Alcohol means processed and refined Absolute Alcohol for manufacture of HPLC solvent;

(b) Licencee means the holder of Licence in Form FL-50 as appended to these rules;

(c) Licence means licence issued in Form F.L. 50 for processing and bottling of Analytical Grade Absolute Alcohol and HPLC Grade Absolute Alcohol.

3. Fee of Licence– The fee of licence in Form F.L. 50 shall be realized at the rate of Rs. 5.00 per bulk litre of Absolute Alcohol obtained from any distillery in Uttar Pradesh to process and bottle the Analytical Grade Absolute Alcohol and HPLC Grade Absolute Alcohol. The fee shall be realized by the Excise Inspector in charge of distillery from licencee before making issues of the Absolute Alcohol from the distillery and shall be deposited in the Treasury.

4. Bottling fee– The bottling fee shall also be realized from the licencee at the rate of Rs. 11.50 per litre.

5. Grant of Licence for Processing and bottling of Analytical Grade Absolute Alcohol and HPLC Grade Absolute Alcohol– (1) An Analytical Grade Absolute Alcohol and HPLC Grade Absolute Alcohol processing and bottling licence in Form FL-50 may be granted by Excise Commissioner to,-

i. A distiller having PD-2 Licence authorized to manufacture only industrial alcohol as well as Anhydrous alcohol.

ii. A company or unit holding PD-33 Licence to establish a industrial distillery including Anhydrous alcohol plant, having minimum investment of Rs. 50 croreand minimum capacity of 40 KLPD, on giving an assurance and commitment by an affidavit supported by Bank Guarantee of Rs. 25 Lakh that it shall install industrial distillery within two years from the date of grant of FL-50licence. If the unit fails to establish the industrial distillery within the specified period, the aforesaid Bank Guarantee shall be forfeited in favour of the State Government by the Excise Commissioner and the licence granted for processing and bottling of Analytical Grade Anhydrous Alcohol and HPLC Grade Absolute Alcohol licence shall be held in suspended stage until the industrial distillery is commissioned.

(2) For the grant of such licence,the Applicant shall submit application before Excise Commissioner in form FL-51 as appended in these rules through the District Excise Officer of the concerned district with descriptions and plans of the building along with details of Latitude and Longitude in which applicant proposes to construct the unit and also an inventory giving the description and size of plant and other permanent apparatus. The plan shall be drawn on a computer aided drawing showing the exact position and dimensions of each vessel, tank and receiver to be used. Elevation of each part of unit like storage, receiver and other parts shall be shown on the computer aided drawing. Application shall be uploaded on designated portal also.

(3) If after such enquiry,as may deem necessary, theExcise Commissioner is satisfied, he shall, subject to such conditions as the State Government may deem fit to impose, grant a licence in form FL-52 authorizing the establishment of Analytical Grade absolute alcohol and HPLC Grade Absolute Alcohol plant on payment of fee of Rs. 1,00,000 (One Lac only).

(4) The aforesaid Licence shall be valid (unless specifically extended) for a year from the date of issue within which period the Licence holder thereof shall arrange to secure building, plant, machinery and other equipment required for the establishment.

(5) Validity of licence may be extended for a year on proper reasons given by the licencee and after payment of fee of Rs. 1,00,000 (One Lac Only).

(6) Before the issuance of licence in Form F.L.-50, a Technical officer authorized by the Excise Commissioner shall inspect the premises, etc. and compare the same with the plans and certify accordingly.

(7) No licence in Form F.L.-50 shall be granted until the applicant has ,–

(i) satisfied the Excise Commissioner that the proposed building, vessels, plant and apparatus to be used in connection with the processing and bottling of Analytical Grade absolute alcohol and HPLC Grade Absolute Alcohol and its storage and issue are strictly in accordance with the rules made in this behalf and are in conformity with the plans submitted by the applicant and further that due precaution has been taken against fire;

(ii) deposited security of Rs 10.00 Lac, seventy five percent of which shall be deposited as a fixed deposit receipt pledged under designated name as Excise Commissioner, Uttar Pradesh and the remaining twenty five percent shall be deposited in cash in Government Treasury;

(iii) deposited the licence fee at the rate of Rs. 10.00 (Ten) per year per kilolitre of the sanctioned capacity to possess Absolute Alcohol for processing and bottling of Analytical Grade absolute alcohol and HPLC Grade Absolute Alcohol in advance for the year or part thereof for which the licence is to be granted.

6. General Conditions– The following general conditions shall be binding on licencee/Applicant, namely:-

(1) The licencee shall be bound to observe relevant provisions of the U.P. Excise Act, 1910, and the rules made thereunder, applicable to his licence and the general and special conditions of his licence.

(2) The licencee shall obtain proper licence/permission/ NOC from Petroleum and Explosives Safety Organization, Fire department, Pollution Control and Central Pollution Control Board.

(3) The licencee must be registered under Goods and Services Tax for processing and selling of

fine chemical from 5 years.

(4) The licencee shall produce Government No-dues Certificate from the concerned District Magistrate.

(5) Applicant in case of a company shall submit Memorandum of Association and Articles of Association of the company and transfer or lease document regarding ownership of land.

(6) If it is found that there is shortfall of ENA, and consequently potable liquor, then Excise Commissioner shall restrict the sale of Absolute Alcohol from distilleries of Uttar Pradesh for manufacture of Analytical Grade absolute alcohol and HPLC Grade Absolute Alcohol in the state.

(7) The licencee shall not change the premises in which he carries on his business under his licence except with the previous permission of the Excise Commissioner which should be noted on the licence by the Collector or any officer duly empowered by him and the Excise Commissioner shall be informed.

(8) If the licencee desires to enter into partnership in regard to business covered by licence, he shall do so only after obtaining the previous sanction of the Excise Commissioner and his licence shall therefore be suitably amended. Where partnership is entered into, the partner as well as the original holder of the Licence shall be bound by the conditions of that licence.

(9) If any partnership is dissolved, the factum of dissolution shall be communicated to the Excise Commissioner by all the partners of the dissolved partnership within three days.

(10) If the licencee becomes incapable of carrying on the business or dies or becomes insolvent or, in the case of a firm, company or other association of persons, it is wound up, the Excise Commissioner may,—

i. either cancel the licence; or

ii. continue it in the name of the legal successors, if any, of the licencee.

(11) If the licencee goes out of business he shall dispose of his stock of Absolute Alcohol and Analytical Grade absolute alcohol and HPLC Grade Absolute Alcohol in such manner as the Excise Commissioner may direct.

(12) The licencee shall not sell or part with as gift or otherwise any quantity of spirit obtained under the licence or utilize it for purposes other than stated in the licence;

(13) No Absolute Alcohol shall be removed from the licensed premises without the sanction, in writing, of the Excise Commissioner.

(14) Any attempt on the part of the licencee to use spirit for human consumption shall attract cancellation of his licence in addition to the penalties that may be imposed under the U.P.Excise Act,1910.

(15) The licencee shall maintain registers prescribed for the business carried on by him. The licencee shall submit all prescribed returns punctually and maintain the accounts of transactions from day to day.

(16) The licencee shall maintain an up-to-date account in Form Fl-53 of the alcohol received from the distillery and stored in storage tanks, used in the manufacture and the balance left in stock at the end of the day and Analytical Grade Absolute Alcohol and HPLC Grade Absolute Alcohol manufactured and issued.

(17) The licencee shall at any time produce for inspection on demand his licence and accounts by an officer of the Excise Department not below the rank of an Inspector and shall allow the inspection of his licence, registers, permits or passes, total stock of Absolute Alcohol and Analytical Grade Absolute Alcohol and HPLC Grade Absolute Alcohol and premises by the said officer.

(18) The licencee shall maintain an inspection note book with the pages numbered consecutively and hand it over on demand to an officer of the Excise Department not below the rank of an Inspector. Any punishment or warning incurred by the licencee, without forfeiture or cancellation of his licence shall be recorded in the book.

(19) A digital record will also be maintained and be submitted online on designated portal of Excise Department daily.

(20) The licence shall not be transferred or sublet or sold without the previous permission of the Excise Commissioner.

(21) The licencee shall sell the Analytical grade absolute alcohol and HPLC Grade Absolute Alcohol to the dealer/end user for the purpose used for laboratory testing use, Pharmaceutical use, laboratory use in schools/colleges/Institutions/Pathologies/R&D Centers and take the necessary

certificate/document from the dealer/end user as mentioned in Appendix-I and produce at the time of inspection also.

(22) The purchaser of the analytical grade absolute alcohol and HPLC grade absolute alcohol shall register himself on the portal through the licencee.

(23) Issue of Analytical grade absolute alcohol and HPLC Grade Absolute Alcohol shall be under a Transport pass in Form FL-54.

(24) Brand and Label of Analytical grade Absolute Alcohol and HPLC Grade Absolute Alcohol shall be approved by Excise Commissioner on payment of fee of Rs. 50,000 each.

7. Indent for Absolute Alcohol– (1) Supplies of Absolute alcohol obtained by the licencee shall be on indents in form I-1 appended to these rules. The indent shall be in printed forms bound in books in triplicate and numbered consecutively. Whenever a licencee indents for spirit he shall prepare indent in triplicate using carbon paper, send the original of the indent with the fly-leaf by licence concerned to the distillery producing Absolute Alcohol the duplicate of the indent shall be sent to the Excise Inspector of the concerned unit and the triplicate retained by the Indent for his file.

(2) On receipt of the indent along with the prescribed fly leaf the Officer In-charge of the distillery shall not honour the indent unless he has made accurate entries in a very legible way, in each column of the fly leaf and endorse the quantity of Absolute alcohol supplied on the indent. If the distillery is not in a position to meet the requirements of the indent, he shall inform the indenter accordingly. A copy of the communication shall be sent to the Excise Inspector of the unit.

8. Forfeiture of security– In case of non-observance of the terms and condition of the licence, the security so deposited may be forfeited to Government and licence cancelled in addition to other penalties that may be provided under the law after giving opportunity to the licencee to explain.

F.L. 50

Licence for processing and manufacture of Analytical Grade Absolute Alcohol and HPLC Grade Absolute Alcohol

Licence No. …….. Dated……

Licence is hereby granted and issued to.....(Name and address of the licencee), hereinafter referred to as the licencee, at the below mentioned premises to possess .....liters of Absolute Alcohol for processing and bottling of Analytical Grade Absolute Alcohol & HPLC Grade Absolute Alcohol during the year ending March 31, 20.....

Description of the licensed premises

Address of the premises…….

Boundary of the premises: North ……

South ……

East…….

West……

Latitude……. Longitude……

The Licence shall be subject to -

(i) the provisions of the U.P.Licences for processing and bottling of Analytical Grade Absolute Alcohol & HPLC Grade Absolute Alcohol Rules, 2022,

(ii) rules relating to export and transport of spirit, contained in Chapters IV and V of Part – II of the Excise Manual, Volume- I (1995 edition)

(iii) Such other rules and orders as may be made or issued by the Excise Commissioner and the Gov ernment from time to time, and the infraction of which will render the licencee liable to cancellation in addition to any penalties imposed under the above laws.

Conditions: -

1- The licencee shall maintain all buildings, walls, water channels and drains necessary for the plant in proper order.

2- The Absolute Alcohol shall be obtained from a distillery situated in Uttar Pradesh, produced if any scarcity found in the State it may be imported from the other state with the permission of the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.

3- If it is found that there is shortfall of ENA, and consequently potable liquor, then Excise Commis sioner shall restrict the sale of Absolute Alcohol from distilleries of U.P. for processing and bottling of Analytical Grade Absolute Alcohol & HPLC Grade Absolute Alcohol in the state.

4- The Absolute Alcohol shall be stored in gauged vats or other receptacles approved by the Excise Commissioner. All such vessels shall bear a distinctive serial number and their full capacities shall be distin ctly and intelligibly marked over them.

5- The Licencee shall, subject to the previous approval of the Excise Commissioner, supply and erect all plant and appliance necessary for the storage of Absolute Alcohol and production, storage and transport of Analytical Grade Absolute Alcohol & HPLC Grade Absolute Alcohol which will include instal lation and maintenance of CCTV Cameras with IP Address at the entrance/exit gate of the unit.

6- The licencee shall be responsible for maintaining proper cleanliness within the premises of the un it and shall observe all the provisions of sub section(1) of section 11 of the factories Act, 1948 and rules ma de and orders if any issued there under and relevant provisions regarding water and air pollution, unless spe cially exempted by the State Government from and of these provisions.

7- The licencee shall make effective arrangement for the disposal of wastes and effluents from the processing and bottling of Analytical Grade Absolute Alcohol & HPLC Grade Absolute Alcohol and shall make all such arrangements as prescribed in notification dated 8-4-2016 issued by Ministry of Environment al, Forest and Climate change under Solid Waste Management Rules, 2016 and also prescribed by the state Government in this behalf under the provisions of sub-section (2) of section 12 of Factories Act, 1948 and u nder the relevant provisions regarding water and air pollution.

8- The spirit shall be stored in a separate premises approved with PESO. There shall be only one ent rance to the spirit storage premises. The gates shall be secured with excise ticket lock during the absence of the Excise Officer In charge.

9- No addition or alterations shall be made in the spirits store premises, tanks, receivers and plants o r in respect of permanent fixture therein without the previous orders of the Excise Commissioner. The Absol ute Alcohol and Analytical Grade Absolute Alcohol & HPLC Grade Absolute Alcohol receivers and storag e tank shall be opened and closed only in the presence of the Excise Officer In charge.

10- No spirit shall be taken away from the premises by anyone other than a person duly authorized by the Excise Commissioner.

11- An application for every quantity of spirit required to be removed from the storage tanks must be made in writing to the Excise Officer In-charge who shall record the quantity issued day-to-day in a pres cribed register.

12- The licencee shall maintain an up-to-date account of the Absolute Alcohol received from the distillery and stored in storage tanks, used in the processing and bottling and the balance left in stock at the end of the day and Analytical Grade Absolute Alcohol & HPLC Grade Absolute Alcohol processed and bottled and issued in the Form F.L.53 and in the manner as prescribed by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.

13- The licencee shall apply to the Excise Commissioner through the District Excise Officer of the district concerned, for the renewal of the licence at least one month before the date of expiry of the licence.

14- If storage and processing and bottling wastage of Absolute Alcohol is found more than 1.0 percent on the last working day of every calendar month after verification of the stock of Absolute alcohol

and Analytical Grade Absolute Alcohol & HPLC Grade Absolute Alcohol produced and stored in the unit, t hen for such excess wastage of Absolute Alcohol, the consideration fee shall be liable to be charged at the ra te of economy category of Indian made foreign liquor.

15- The licencee shall pay fee at a rate prescribed by the State Government, per liter on the issues of the Absolute Alcohol obtained from any distillery in Uttar Pradesh or imported from the other state for the manufacture of an Analytical Grade Absolute Alcohol & HPLC Grade Absolute Alcohol.

16- The fee shall be realized by the Excise Inspector In-charge of the distillery before making issues of the Absolute Alcohol from the distillery from the licencee and shall be deposited in the treasury under the relevant head.

17-The Excise Commissioner shall decide the strength of excise personnel necessary for the supervi sion and his decision shall be binding on the licencee. The licencee will provide office with office furniture for the officer in-charge and suitable quarter to the excise staff to the satisfaction of the Excise Commissioner in the vicinity of the licensed premises. The licencee shall be bound to keep the quarters and their appurtenances in proper repair and not to interrupt or to annoy any officer residing therein, in his use or enjoyment thereof. In case any question should arise as to the sufficiency of the accommodation, the ques tion shall be referred to the Excise Commissioner whose decision shall be final and binding on the licencee.

18- The licencee shall furnish to the Excise Officer In-charge a list containing the 'names of the manager and other employees employed by him and of all other employees whose duties require them to ent er the spirit store. He shall promptly inform the Excise Inspector concerned of any changes which he may choose to make in the list from time to time.

19- The licencee shall provide himself with the following registers in duplicate:

(i) Register of transaction in the Absolute Alcohol store showing the receipt and use of spirit.

(ii) Register of operations in the unit showing the quantity of Absolute Alcohol used and total quantity of Analytical Grade Absolute Alcohol & HPLC Grade Absolute Alcohol produced.

(iii) All registers and forms which the Excise Commissioner may prescribe shall be printed and supplied by licencee free of charge to the concerned Excise Inspector to supervise the operation.

(iv) He shall maintain daily accounts of transactions and sell of Analytical Grade Absolute A lcohol & HPLC Grade Absolute Alcohol to the parties with his name, address and mobile No.

20- A digital record will be maintained also and be submitted online on designated portal of Excise Department daily.

COUNTERPART AGREEMENT

I .....the above-named licencee, for myself, my heir, legal representatives and assigns here by agree to all terms and conditions hereinbefore written and expressed.

Date:

Licencee:

Witnesses:

1-

2-

Excise Commissioner
Uttar Pradesh

ENDORSEMENT OF RENEWAL

This licence is hereby renewed on the conditions herein before stated for the period stated below.

Period.....to.....

Excise Commissioner,
Uttar Pradesh

FL - 51

See Rule 5(2)

Application to Establish

Analytical Grade Absolute Alcohol & HPLC Grade Absolute Alcohol Plant

1. Name of applicant
2. Name of address of the undertaking
3. Detail of investment
   a. Fixed Assets
   b. Land Site Development
   c. Building
   d. Plant and Machine
4. Location
5. Raw Material Required for production
6. Water and power requirement
   a. Particular of the requirement
   b. Whether necessary permission in as secured
7. Process
8. Technical Assistance
9. Forecast of Time Factor
10. Item of Manufacture and quantity of item per year
11. Employment Potential
12. Any special facility requirement from Govt.

Signature of Applicant
with Date

Annexures

1. - Pollution NOC
2. - Fire NOC
3. - GST
4. - Detail of Plant/Machinery
5. - Layout Plant in 3 copy
6. - Plan & elevation of the drawing
7. - Fee chalan
8. - Detail of tanks and gauge chart of all alcohol storage tank in 3 copies
9. - Capacity calculation of the plant

FL - 52

See Rule 5(3)

Licence to establishment for process and bottle Analytical Grade Absolute Alcohol & HPLC Grade A bsolute Alcohol Plant

Licence is hereby granted and issued to..... (Name of and address of Licence e) at..... (enter detail of Location) .....in the village and town..... .....District to process and bottle Analytical Grade Absolute Alcohol plant & HPLC Grade Absol ute Alcohol with.....Lac liter Annual capacity. Licence is valid for one year from the date of issua nce of this licence.

Date

Excise Commissioner

Uttar Pradesh

(I-1)

Indent of Absolute Alcohol

See Rule 7

Excise Inspector In charge

.....

Please issue.....liter of Absolute Alcohol for processing and bottling of Analytical Grade Absolu te Alcohol & HPLC Grade Absolute Alcohol from.....to.....

Dated.....

Authorized Person of

Unit/Licencee

Recommendation of Excise Inspector in charge of the Unit.

Sign and Seal of

Excise Inspector in charge of Unit

F.L. 53

	Absolute Alcohol								
Date	Opening balance	From where received	Permit no. and date	Quantity	Total of Columns 2+5	Quantity taken or issued for use	Closing balance of spirit	Analytical/HPLC Grade Absolute alcohol manufactured	Analytical/HPLC Grade Absolute alcohol sale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Excise Commissioner
Uttar Pradesh

Form FL.-54

Uttar Pradesh Excise Department

Analytical Grade Absolute Alcohol & HPLC Grade Absolute Alcohol Transport Pass

Verify and return immediately

1. Pass No: Date: Valid up to:
2. Name of consignor : Licence No. :
3. Name and address of consignee: Licence No. :
4. Description of Analytical Grade Absolute Alcohol/ HPLC Grade Absolute Alcohol
5. Indent No. : Indent Date :

   Purchase Order No. issued by consignee/Sale order No. issued by consignor Date of purchase/sale order:
6. Fee Paid (in Rs.) :
7. Vehicle No:
8. Route Detail
9. Gross Weight: Tare Weight: Net Weight:
10. Details of dispatch:

No. of Bottles	Capacity in Ml.	Alcohol in BL	Alcohol in AL

Digitally signed by person authorized by

MD/CEO of the Licencee with date and designation.

13. Details of quantity received:

Received No. of Bottles Capacity of bottle Quantity in Bulk Litre

Digital signature of recipient of consignee with

Date & Designation.

APPENDIX-I

END USE CERTIFICATE FROM DEALER/ END USER

We hereby certify that the below mentioned material has not been used for human consumption or any other mis utilization covered under the excise control Act :-

INVOICE NUMBER	INVOICE DATE	PRODUCT	QUANTITY
		ETHANOL 99.9% (Analytical Grade/ HPLC Grade)	

Purpose Used for :-

⌂ Laboratory testing use

⌂ Pharmaceutical use

⌂ Laboratory use in schools

⌂ Laboratory use in colleges

⌂ Laboratory use in institutions

⌂ Laboratory use in Pathologies

⌂ Laboratory use in R&D Centers

We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of our knowledge and belief and I undertake to inform you of any changes therein, immediately.

(Sign & Stamp)

By order,
SENTHIL PANDIAN C.
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0–5 असाधारण गज़ट–23-05-2022–502 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।